जिला परिषद कार्यालय, शिवहर।

विज्ञापन संख्या–01 / 2024

सेवा–निवृत कर्मियों के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2325 / पं0रा0, दिनांक–12.03.2024 के आलोक में जिला परिषद कार्यालय, शिवहर अन्तर्गत रिक्त पद के विरूद्व संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार/ जिला परिषद/बोर्ड/निगम/लोक उपक्रम से सेवानिवृत कर्मियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। पदों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	पदनाम	रिक्ति की स्थिति	कोटी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	सहायक अभियंता	01	अनारक्षित	
2.	कनीय अभियंता	01	अनारक्षित	
3.	उच्च वर्गीय लिपिक	01	अनारक्षित	
4.	निम्न वर्गीय लिपिक	04	अनारक्षित–1 अनारक्षित (महिला)–1 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –1 अनुसूचित जाति–1	

आवेदन पत्र दिनांक–05.09.2024 को 05:00 बजे अपराह्न तक जिला परिषद कार्यालय, शिवहर में कार्यालय अवधि में सीधे या निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाऐगे।

संविदा पर नियोजन हेतु शर्त निम्न प्रकार है:–

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथम दो वर्षो अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला परिषद द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सेवकों का संविदा विस्तार प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।
2. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृत सेवकों का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्व के निर्वहन हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।
3. आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्व निगरानी का मामला/ विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। चयनोपरांत नियोजन के समय उन्हें अपने सेवानिवृत कार्यालय से तत्संबंधी प्रतिवेदन/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. संविदा पर नियोजित कर्मियो का मानदेय उन्हे प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा।
5. मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
6. नयी पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक–उपक्रमों से सेवानिवृत कर्मियो का संविदा पर नियोजन सेवानिवृति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का आरंभिक वेतन/वेतन स्तर (**Pay Level**) का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परंतु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन+महँगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।
7. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।
8. नियोजित संविदा कर्मियों को जिला परिषद के साथ एक एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना होगा, जिसमें नियम एवं शर्ते रहेंगी।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रद्द कर दी जायेगी।
10. चयन के लिए आदर्श रोस्टर के अनुसार अगर रिक्त पदों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में साक्षात्कार के आधार पर गठित चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।
11. बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

17/8/2024

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, शिवहर।

17.8.24

17/8/24

जिला पदाधिकारी,
शिवहर।

जिला परिषद कार्यालय, शिवहर में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

आवेदित पद – सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/उच्च वर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक

स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम :————————————————
2. पिता/पति का नाम :———————————————
3. जन्म तिथि (सेवा पुस्त के अनुसार) :–
4. सेवानिवृति की तिथि :–
5. स्थायी पता ———————————————————
6. वर्तमान पता ——————————————————
7. मोबाइल संख्या –
8. सेवा –
9. अन्तिम धारित पद —————
10. प्राप्त अंतिम वेतन की विवरणी
    - मूल वेतन–
    - मँहगाई भत्ता –
    - चिकित्सा भत्ता –
    - अन्य –
    - कुल –
11. प्राप्त मासिक पेंशन की राशि :–

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दी गयी सभी सूचनाएँ सही है।

तिथिः–

आवेदक/आवेदिका का
पूर्ण हस्ताक्षर।

नोटः–आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करें :–

(i) स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र।
(असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत)

(ii) आवेदक/आवेदिका द्वारा शपथ पत्र जिसमें अंकित हो कि उनपर कोई कानूनी/विभागीय/निगरानी की कार्रवाई नहीं चल रहा है और उनका आचरण अच्छा है।
(अनुमंडल कार्यालय/नोटरी से निर्गत)

(iii) आधार/पैन कार्ड की छायाप्रति।

(iv) PPO की छायाप्रति।